न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)पंचम/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।

दाण्डिक वाद सं0–218/2019

राज्य बनाम अर्श अहमद खां।

अ0सं0–157/2016

धारा–279,337,338भारतीय दण्ड संहिता।

थाना–पटरंगा, जनपद–फैजाबाद।

17.09.2019

पत्रावली पेश हुई।

पुकार पर अभियुक्त अर्श अहमद खां न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त द्व ारा अपराध संस्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र जिसमें कथन किया गया है कि जुर्म संस्वीकृति के आधार पर मुकदमा समाप्त करने की कृपा की जाये।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपराध संस्वीकृति प्रार्थनापत्र पर सुना गया। अभियुक्त को यह अवगत कराया गया कि वह अपराध संस्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है और अपराध संस्वीकृत करने की दशा में उन्हे विधि के अनुसार दण्डित किया जा सकता है। अभियुक्त की याचनानुसार अभियुक्त का अपराध संस्वीकृति बयान अंकित किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त द्वारा अपने अपराध संस्वीकृति बयान में स्वेच्छया अधिरोपित अपराध धारा–279,337,338 भारतीय दण्ड संहिता की स्वीकारोक्ति किया और मुकदमा सही चलना कहा। न्यायालय के मत में अभियुक्त उक्त बयान के आधार पर अपराध धारा–279,337,338भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आ दे श

अभियुक्त अर्श अहमद खां को अपराध संस्वीकृति कथन के आधार पर अपराध धारा–279,337,338 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच पश्चात पेश हो।

(साधना गिरि)

दिनांक–17.09.2019 **अपर सिविल जज (जू०डि०)पंचम/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फेजाबाद।**

लंच पश्चात पत्रावली पेश हुई।

दण्ड की मात्रा पर सुना। अभियुक्त द्वारा मौखिक रूप से यह निवेदन किया गया कि वह अत्यन्त गरीब है और घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है तथा मेहनत–मजदूरी करके अपने परिवार का जीवकोपार्जन करता है। अतः उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के अपराध की प्रकृति को देखते हुए अधिकाधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के निवेदन को सुनने और पत्रावली के अवलोकन तथां अभियुक्त पर सिद्ध अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्त की पारिवारिक व आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्नलिखित दण्डादेश दिया जाना न्यायोचित होगा।

द ण् डा दे श

दोषसिद्ध अभियुक्त अर्श अहमद खां को सिद्ध अपराध धारा–279 भारतीय दण्ड संहिता में मु0 1000/–रू०(एक हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड संदाय करने में व्यतिक्रम करने में अभियुक्त को 10(दस) दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी एवं अभियुक्त को सिद्ध अपराध की धारा–337 भारतीय दण्ड संहिता में मु0 500/–रू०(पांच सौ रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड संदाय करने में व्यतिक्रम करने में प्रत्येक अभियुक्त को 05(पाँच) दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी तथा अभियुक्त को सिद्ध अपराध की धारा–338 भारतीय दण्ड संहिता में मु0 1000/–रू०(एक हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड संदाय करने में व्यतिक्रम करने में अभियुक्त को 10(दस) दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

उपरोक्त अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि में से मु.80प्रतिशत धनराशि अन्तर्गत धारा–357ए. दं.प्र.सं. वादी मुकदमा को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(साधना गिरि)

दिनांक–17.09.2019 **अपर सिविल जज (जू०डि०)पंचम/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।**

आदेश खुले न्यायालय में आज मेरे द्वारा सतिथि हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

(साधना गिरि)

दिनांक–17.09.2019 **अपर सिविल जज (जू०डि०)पंचम/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, फेजाबाद।**

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)पंचम/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फेजाबाद।

दाण्डिक वाद सं0–218/2019
राज्य बनाम अर्श अहमद खां।
अ0सं0–157/2016
धारा–279,337,338भारतीय दण्ड संहिता।
थाना–पटरंगा, जनपद–फैजाबाद।

बयान जुर्म संस्वीकृति

नाम–　　पिता/पति का नाम–
आयु–　　साकिन–
थाना–　　जिला–　　का है।

प्रश्न1– क्या दिनांक–07.06.2016 को समय करीब 11.00बजे दिन बहद स्थान लखनऊ फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग बहद ग्राम गनौली, थाना–पटरंगा, जिला फैजाबाद में आपने आप वाहन संख्या–डी.एल.10सी.जी. 9560 हुन्डई कार क्रेटा का चालन काफी तेजगति व लापरवाही पूर्वक से करते हुये वादी की टैम्पू को टक्कर मार दिया जिससे टैम्पू चालक समेत कई लोग चोटहिल हो गये तथा उन्हे काफी चोटें आयी ?

उत्तर –

प्रश्न 2– क्या आपको अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार है?
उत्तर –

प्रश्न3– क्या कुछ और कहना है?
उत्तर–

सुनकर तस्दीक किया।

(साधना गिरि)
दिनांक–17.09.2019　　**अपर सिविल जज (जू०डि०)पंचम/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।**